

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

नीटारीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 131/24 प्रा.पत्र

1- श्री चण्डमूजा जी खान देह पुजारी गोपालदास शि. मिश्रीवास वैष्णव
निवासी- कजलोदिया तहसील- गाण्डल

प्राथ

बनाम

1- श्री भगवती लाल शि. भगना देवेगा निवासी- कजलोदिया तहसील- गाण्डल (नगर)
(पृथक्कित प्राप्त रावेग)

न्यायालय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.5.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
ग्राम कजलोदिया पटवार हल्का-चगनपुरा तहसील गाण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की
आराजी नं० 632, 633, 635, 636 कुल किता 05 रकबा 08 बीघा
के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13-5-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राथ कजलोदिया पटवार
हल्का चगनपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 632, 633, 635, 636, 638
कुल किता 05 रकबा 08 बीघा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुष्टता जांचकारी किये
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण नगर
को 800 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके पर कब्जे
की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल